

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-1114/2013/3054

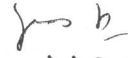
दिनांक :- 24-06-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकास कलवानिया कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय विशेषाधिकारी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी-स्कीम, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 28.02.2019 से 13.03.2019 तक कुल (14 दिवस)

उक्त कुल 14 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विकास कलवानिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-1114/2013/3054

दिनांक :- 24-06-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशेषाधिकारी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी-स्कीम, जयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकास कलवानिया कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय विशेषाधिकारी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी-स्कीम, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शलपी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)